छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसंबर 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-2/खाद्य/07/29:: इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, रायपुर दिनांक 23 फरवरी 2007 द्वारा छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 फरवरी 2007 में प्रकाशित की गई थी। इस योजना में कतिपय संशोधन किए गए हैं। छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में किए गए संशोधन एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आलोक शुक्ला)
सचिव
छत्तीसगढ शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
संरक्षण विभाग

छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में संशोधन

छत्तीसगढ मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ-4/खाद्य/07/20, रायपुर दिनांक 23 फरवरी 2007 द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए छत्तीसगढ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23 फरवरी 2007 में प्रकाशित की गई थी। इस योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है -

1. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत केसरिया, 10 किलो केसरिया एवं स्लेटी राशनकार्डधारियों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतगर्त बी पी एल योजना के पीला राशनकार्डधारियों को प्रदाय किए जाने वाले चावल की उपभोक्ता विक्रय दर दिनांक 1 जनवरी 2008 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम होगी।
2. अंत्योदय योजना के लाल राशनकार्डधारियों को पूर्व से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल प्रदाय किया जा रहा है। उन्हें इसी दर पर चावल मिलता रहेगा।
3. शेष राशनकार्डधारियों के लिए सर्वाजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल की दर पूर्ववत रहेगी।
4. क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ राज्य के ए पी एल खाद्यान्न के आबंटन में कटौती की गई है इसलिए छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को बडी मात्रा में चावल का उपार्जन इकानामिक कास्ट पर करना होगा। अत: छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए अंतर की राशि का भुगतान दिनांक 1 अप्रेल 2007 से निम्नलिखित सिद्धांतों पर किया जाएगा: -
   - क) भारत सरकार के प्राप्त ए पी एल चावल का वितरण सफेद राशनकार्डधारी ए पी एल परिवारों को ए पी एल दर पर ही किया जाना है इसलिए इस वितरण पर अंतर की राशि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
   - ख) भारत सरकार के प्राप्त अंत्योदय चावल का वितरण लाल राशनकार्डधारी अंत्योदय परिवारों को अंत्योदय पर ही किया जाना है इसलिए इस वितरण पर अंतर की राशि का कोई भुगतान देय नहीं होगा।
   - ग) बी पी एल योजना के पीला राशनकार्डधारी परिवारों के लिए भारत सरकार से बी पी एल दर पर चावल प्राप्त होता है। इन्हें दिनांक 1 अप्रेल 2007 से 31 दिसंबर 2007 तक बी पी एल दर पर ही चावल वितरित किया जाना है, इसलिए इस अवधि के लिए अंतर की राशि

का कोई भुगतान देय नहीं होगा। दिनांक 1 जनवरी 2008 से इन पीला राशनकार्डधारियों को 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल प्रदाय किया जाना है। इसलिए 1 जनवरी 2008 से इन पीला राशनकार्डधारियों को वितरित चावल पर बी पी एल केन्दीय निर्गम दर तथा 3 रुपये के अंतर की राशि राज्य शासन द्वारा स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को देय होगी। इसके अतरिक्ति समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यय, कमीशन एवं परिवहन व्यय की राशि स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को दिनांक 1 जनवरी 2008 से पृथक से देय होगी जिसमें से स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लीड संस्थाओं को परिवहन व्यय तथा कमीशन एवं उचित मूल्य दुकानों को कमीशन की राशि का भुगतान करेगा।

घ) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कुछ केसरिया एवं 10 किलो केसरिया राशनकार्डधारियों को भारत सरकार से प्राप्त ए पी एल चावल में से चावल वितरण किया गया है तथा शेष को छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा इकानामिक कास्ट पर उपार्जित चावल मे से चावल का वितरण किया गया है। अतः इनके लिए अंतर की राशि के भुगतान के सिद्धांत निम्नलिखित होंगे: -

एक. दिनांक 1 अप्रेल 2007 से दिनांक 31 दिसंबर 2007 तक जितने चावल का वितरण भारत सरकार से प्राप्त ए पी एल चावल के आबंटन में से किया गया है उतने चावल के लिए ए पी एल केन्द्रीय निर्गम दर तथा बी पी एल केन्द्रीय निर्गम दर के अंतर की राशि देय होगी।

दो. दिनांक 1 जनवरी 2008 से जितने चावल का वितरण भारत सरकार से प्राप्त ए पी एल चावल के आबंटन में से किया गया है उतने चावल के लिए ए पी एल केन्द्रीय निर्गम दर तथा 3 रुपये के अंतर की राशि देय होगी।

तीन. दिनांक 1 अप्रेल 2007 से दिनांक 31 दिसंबर 2007 तक जितने चावल का वितरण छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा इकानामिक कास्ट पर उपार्जित चावल में से किया गया है उतने चावल के लिए इकानामिक कास्ट तथा बी पी एल केन्द्रीय निर्गम दर के अंतर की राशि देय होगी।

चार. दिनांक 1 जनवरी 2008 से जितने चावल का वितरण छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा इकानामिक कास्ट पर उपार्जित चावल में से किया गया है उतने चावल के

लिए इकानामिक कास्ट तथा 3 रुपये के अंतर की राशि देय होगी।

पाँच. इसके अतरिक्ति समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यय, कमीशन एवं परिवहन व्यय की राशि स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को दिनांक 1 जनवरी 2008 से पृथक से देय होगी जिसमें से स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लीड संस्थाओं को परिवहन व्यय तथा कमीशन एवं उचित मूल्य दुकानों को कमीशन की राशि का भुगतान करेगा।

ङ) मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के कुछ स्लेटी राशनकार्डधारियों को भारत सरकार से प्राप्त ए पी एल चावल में से चावल वितरण किया गया है, कुछ को भारत सरकार से प्राप्त बी पी एल चावल में से चावल वितरण किया गया है, तथा शेष को छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा इकानामिक कास्ट पर उपार्जित चावल मे से चावल का वितरण किया गया है। अत: इनके लिए अंतर की राशि के भुगतान के सिद्धांत निम्नलिखित होंगे: -

एक. दिनांक 1 अप्रेल 2007 से जितने चावल का वितरण भारत सरकार से प्राप्त ए पी एल चावल के आबंटन में से किया गया है, उतने चावल के लिए ए पी एल केन्द्रीय निर्गम दर तथा 3 रुपये के अंतर की राशि देय होगी।

दो. दिनांक 1 अप्रेल 2007 से जितने चावल का वितरण भारत सरकार से प्राप्त बी पी एल चावल के आबंटन में से किया गया है, उतने चावल के लिए बी पी एल केन्द्रीय निर्गम दर तथा 3 रुपये के अंतर की राशि देय होगी।

तीन. दिनांक 1 अप्रेल 2007 से जितने चावल का वितरण छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन द्वारा इकानामिक कास्ट पर उपार्जित चावल में से किया गया है, उतने चावल के लिए इकानामिक कास्ट तथा 3 रुपये के अंतर की राशि देय होगी।

चार. इसके अतरिक्ति समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित प्रासंगिक व्यय, कमीशन एवं परिवहन व्यय की राशि स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन को दिनांक 1 अप्रेल 2007 से पृथक से देय होगी जिसमें से स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लीड संस्थाओं को परिवहन व्यय तथा कमीशन एवं उचित मूल्य दुकानों को कमीशन की राशि का भुगतान करेगा।

च) अंतर की राशि के भुगतान के दावे के लिए स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरशन राज्य सरकार को संचालक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रस्तुत करेगा।